राज्य शासन द्वारा घरेलु विमान सेवा संचालन हेतु जगदलपुर, बिलासपुर (चकरभाठा), अम्बिकापुर (दरिमा), हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। हवाई पट्टियों की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट** ''**स**'' में संलग्न है ।

राज्य के हवाई पट्टी का विस्तार एवं उन्नयन योजना :-

बलरामपुर हवाई पट्टी -

छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन हवाई पट्टी निर्माण एवं उन्नयन योजना के तहत् वर्ष 2010–11 में राज्य शासन द्वारा बलरामपुर में नवीन हवाई पट्टी निर्माण हेतु, राशि ₹ 13.62 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी थी। बलरामपुर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यहां छोटे विमान की लैंडिंग की जा सकती है।

जशपुर हवाई पट्टी -

जशपुरनगर के आगडीह में पूर्व से स्थित शासकीय हवाई पट्टी के उन्नयन कार्य हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 8.86 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। उन्नयन कार्य अंतर्गत 1200 मीटर लंबाई वाले हवाई पट्टी की चौड़ाई को 15 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर किया गया है तथा रनवे की लंबाई को 300 मीटर बढ़ाये जाने का कार्य जारी है।

बैकुण्ठपुर में नवीन हवाई पट्टी के विकास की योजना-

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में विमानन अधोसंरचना विकास अंतर्गत कोरिया जिले में 01 नवीन हवाई पट्टी निर्माण की घोषणा की गयी है। हवाई पट्टी निर्माण हेतु बैकुण्ठपुर के ग्राम– सलका (आश्रित ग्राम–मेको, बस्ती), में 36.74 हेक्टेयर स्थल/भूमि का चिन्हित किया गया है। चिन्हित स्थल का ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेशन सरफेस सर्वे कार्य कराया गया है। सर्वे अनुसार स्थल को हवाई पट्टी निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। चयनित स्थल में 2220 मीटर लम्बाई X 150 मीटर चौड़ाई के रनवे निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध है हवाई पट्टी निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु भू–अर्जन तथा पुनर्वास की कार्यवाही किया जाना है।

कोरबा जिला में व्यावसायिक हवाई अड्डे के विकास की योजना-

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरबा जिला में एक व्यावसायिक हवाई अड्डे के विकास की घोषणा की गयी है। जिला प्रशासन कोरबा द्वारा रूमगरा में स्थित छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के स्वामित्व की हवाई पट्टी को व्यावसायिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने की संभावना तथा हवाई पट्टी के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता व उपयुक्तता की जांच हेतु तकनीकि विशेषज्ञ के माध्यम से सर्वे कार्य कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार रूमगरा हवाई पट्टी के विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा इसे व्यावसायिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा सकता है। रिपोर्ट अनुसार रूमगरा हवाई पट्टी के उत्तर की ओर 700

मीटर रनवे का विस्तार कर इसे 3C-VFR व्यावसायिक हवाई अड्डे के रूप में (72 सीटर विमान संचालन योग्य) विकसित किया जा सकता है।

रिज़नल कनेक्टिविटी योजना हेतु राज्य के हवाई पट्टियों का एयरपोर्ट के रूप में विकास -

रिज़नल कनेक्टिविटी योजना अंतर्गत राज्य के भीतर घरेलु विमानन सेवा संचालन तथा अन्य शहरों से एयर कनेक्टिविटी हेतु राज्य शासन द्वारा जगदलपुर, बिलासपुर (चकरभाठा), अम्बिकापुर (दरिमा) हवाई पट्टी को RCS एयरपोर्ट अधिसूचित किया गया है । विमानन विभाग द्वारा राज्य में पूर्व से स्थित इन 03 हवाई पट्टियों का विकास एयरपोर्ट के रूप में किया गया है। DGCA मापदण्ड अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में इन एयरपोर्ट का विकास कार्य संबंधित जिला निर्माण समिति, द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में इन एयरपोर्ट का प्रबंधन/नियंत्रण संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा किया जा रहा है तथा एयरपोर्ट के संधारण एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी जिला लोक निर्माण ईकाई को सौंपी गयी है।

माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जगदलपुर -

रिजनल कनेक्टिविटी (उड़ान) योजना में जगदलपुर एयरपोर्ट को शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा इसे रिज़नल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया जाकर पूर्व से स्थित हवाई पट्टी को 2-C VFR कैटेगरी में विकसित किया गया है। शासन द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट विकास हेतु कुल राशि ₹ 45.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति तथा बजट का प्रावधान किया गया है।

एयरपोर्ट को वर्ष 2018 में DGCA से 2-C VFR कैटेगरी एयरपोर्ट के व्यावसायिक उपयोग हेतु पब्लिक यूज़ कैटेगरी का लायसेंस प्राप्त हुआ है। राज्य शासन द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण **माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट** किया गया है।

माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर

एयरपोर्ट टर्मिनल भवन, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट

मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर **2-C VFR** कैटेगरी अर्थात 42 सीटर विमान संचालन योग्य एयरपोर्ट है किन्तु डीजीसीए द्वारा एयरपोर्ट में उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर यहाँ 72 सीटर विमान संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जगदलपुर एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 57.6 हेक्टेयर है तथा इसके एयर स्ट्रीप की लम्बाई मात्र 1704 मीटर है किन्तु यह एयरपोर्ट अपने उत्कृष्ट प्रबंधन, संचालन एवं बेहतर प्रदर्शन द्वारा देश के समस्त रिज़नल कनेक्टिविटी स्कीम योजना से जुड़े एयरपोर्ट को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ते हुए उत्कृष्टता के पॉचवे पायदान में अपना परचम लहरा रहा है अर्थात् यह देश के पांच सबसे उत्कृष्ट RCS एयरपोर्ट में से एक है।

बेहतर प्रदर्शन के कारण जगदलपुर एयरपोर्ट को उत्कृष्ट एयरपोर्ट **(Ideal Airport)** नामित करते हुए नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विमान क्षेत्र के विकास हेतु देश में किये जा रहे प्रयासों की सराहना एवं नये एयरपोर्ट बनाने के उद्देश्य की सार्थकता को प्रदर्शित करने हेतु **Coffee Table Book** तैयार करने के लिए दिनांक 30.09.22 से 01.10.22 तक इस एयरपोर्ट की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करने हेतु एक दल भेजा गया था। दल के द्वारा एयरपोर्ट के सभी क्षेत्रों का व्यापक एवं सूक्ष्म अध्ययन कर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा, साज–सज्जा, स्वच्छता, आवागमन के सुलभ साधन, बुनियादी सुविधा, कला संस्कृति के प्रदर्शन इत्यादि के साथ–साथ सुरक्षा के सभी मापदण्डों की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई है।

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट बिलासपुर (चकरभाठा)

रिज़नल कनेक्टिविटी (उड़ान) योजना में बिलासपुर (चकरभाठा) हवाई पट्टी को शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा इसे रिज़नल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया जाकर 3-C VFR

केटेगरी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। DGCA मापदण्ड अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में एयरपोर्ट का विकास कार्य जिला निर्माण समिति, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया गया है। एयरपोर्ट विकास हेतु अब तक कुल राशि रूपये 45.00 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है।

वर्ष 2018 में DGCA द्वारा एयरपोर्ट के व्यावसायिक उपयोग हेतु 2C-VFR पब्लिक यूज कैटेगरी का लायसेंस जारी किया गया था तथा एयरपोर्ट के विकास पश्चात् DGCA द्वारा वर्ष 2021 में एयरपोर्ट के लायसेंस का उन्नयन 3C-VFR पब्लिक यूज़ कैटेगरी में कर दिया गया है।

राज्य शासन द्वारा एयरपोर्ट का नामकरण नगर माता बिलासा देवी के नाम पर **बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट** रखा गया है।

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा) टर्मिनल बिल्डिंग

बिलासपुर (चकरभाठा) एयरपोर्ट, रनवे

टिकट काऊण्टर

4C-IFR श्रेणी में उन्नयन

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट बिलासपुर को आगामी चरण में 4C-IFR श्रेणी में विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिससे यहॉ बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। इसके लिये राज्य शासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तकनीकी निर्देशन प्रदान करने बाबत् अनुरोध किया गया था। राज्य शासन के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विशेषज्ञ दल द्वारा एयरपोर्ट का सर्वे कार्य किया जा कर एयरपोर्ट के आगामी प्रथमतः 3C-IFR तत्पश्चात् 4C-IFR श्रेणी में उन्नयन की संभावना तथा वर्तमान में विद्यमान विभिन्न आधारभूत संरचना व तकनीकी कमियों को चिन्हित कर आवश्यक निर्माण कार्य के संबंध में तकनीकी दिशा निर्देश प्रदान किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सर्वे उपरांत सौंपे गये तकनीकी प्रतिवेदन अनुसार राज्य शासन द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का उन्नयन कार्य 3C-IFR श्रेणी अनुसार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट में रात्रि विमान सेवा संचालन हेतु नाईट लैंडिंग सुविधा का विकास कार्य किया जा रहा है।

एयरपोर्ट में लाईटिंग सुविधा, टर्मिनल भवन विस्तार सहित अन्य सिविल व विद्युत कार्य के लिये एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा बनाये गये योजना की कुल प्राक्कलन राशि ₹ 22.06 करोड़ की शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है तथा एयरपोर्ट विकास हेतु जिला निर्माण समिति को राशि रूपये 10.00 करोड़ जारी कर दिया गया है।

माँ महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर (दरिमा)

रिजनल कनेक्टिविटी (उड़ान) योजना में अम्बिकापुर एयरपोर्ट को शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा इसे RCS Airport के रूप में अधिसूचित किया गया है। DGCA मापदण्ड अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में एयरपोर्ट का विकास कार्य जिला निर्माण समिति, अम्बिकापुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। एयरपोर्ट विकास हेतु अब तक कुल राशि रूपये 78.50 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है।

वर्ष 2018 में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसके व्यावसायिक उपयोग हेतु लायसेंस प्राप्ति के लिये DGCA कार्यालय नई दिल्ली में आवेदन जमा किया गया था। एयरपोर्ट के एप्रन तथा रनवे का PCN Value कम होने के कारण इसे मात्र 20 सीटर विमान के संचालन योग्य 2B-VFR श्रेणी के एयरपोर्ट का लायसेंस प्राप्त होना प्रस्तावित था।

राज्य शासन द्वारा अब अम्बिकापुर हवाई पट्टी को 3C-VFR केटेगरी एयरपोर्ट के अनुसार विकसित किया गया है ताकि यहां से 72 सीटर विमान का संचालन हो सके। एयरपोर्ट को 3C-VFR अनुसार तैयार

करने हेतु रनवे विकास व विस्तार कार्य तथा टर्मिनल भवन विस्तार सहित अन्य सिविल व विद्युत कार्यों के लिये ₹ 48.254 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। एयरपोर्ट के 3C-VFR लायसेंस हेतु DGCA कार्यालय नई दिल्ली में आवेदन जमा कर दिया गया है।

राज्य शासन द्वारा एयरपोर्ट का नामकरण **माँ महामाया एयरपोर्ट** किया गया है।

टर्मिनल भवन, माँ महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर (दरिमा)

माँ महामाया एयरपोर्ट, अम्बिकापुर का रनवे

यात्री प्रतीक्षा कक्ष